30/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उप०। पत्रावली प्रा०पत्र धारा 10 CPC के आदेश हेतु नियत है। इस स्तर पर न्यायालय को यह देखना है कि पूर्व से ही किसी अन्य न्यायालय में वाद/अपील विचाराधीन होने के कारण न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद पर कार्यवाही रोकी जानी चाहिये अथवा नहीं। इस संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	धारा 10 CPC, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया/ बहस के तर्कों का मनन किया गया/ पत्रावली का अवलोकन किया गया/ पत्रावली में संलग्न असल वादपत्र, प्रस्तुत दस्तावेजात, के साथ प्रार्थी/प्रतिवादी-5 द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन दावा, प्रथम अपील के निर्णय एवं विचाराधीन अपील ज्ञापन का अवलोकन किया गया/ सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों [2000 RRD 322, A/c 2012 (109) 466 Raj (H.C.) Jaipur, 2011 (105) A/c 599 (Cr/HC), 1990 RRD 340, 2011 RBJ 660] का अध्ययन किया गया/ पत्रावली के गहन अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन दावा प्र० सं० 86/96 न्यायालय SDM बैरसी. के निर्णय दिनांक 9/12/2003 की अपील न्यायालय रा० अपील अधि० भरतपुर द्वारा दिनांक 29/8/2017 को निर्णित करते हुए आदेश दिनांक 9/12/2003 को पुष्ट किया गया/ जिसके विरुद्ध 6/2/18 की अपील मान० राजस्व मण्डल राज० अजमेर में की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है/ वहीं न्यायालय हाजा में हस्तगत दावा 21/11/17 को प्रस्तुत किया गया है/
	अपीलाधीन दावा में जो पक्षकार वादी की हैसियत में थे वे हस्तगत दावा में प्रतिवादी की हैसियत में हैं/ अर्थात हस्तगत दावा अपीलाधीन दावा के प्रतिवादीगण की ओर से किया गया है/ इस प्रकार दोनों प्रकरणों के पक्षकार समान हैं अथवा समान पक्षकार के वारिसान हैं/ एवं हस्तगत दावा के पक्षकारान अपीलाधीन दावे में निहित हैं/
	हस्तगत दावा में विवादित आराजी ग्राम कुम्हरपुर के आ० खसरा नं० 27, 163, 164, 165, 168, 169, 206, 207, 208 व 209 है जिसके बन्दोबस्त पूर्व के खसरा नम्बरान क्रमशः- 1084, 1523/2 मि., 1406, 1523/2 मि., (1380, 1397, 1398), (1379, 1399), (1347, 1382 मि., 1383 मि.) (1382 मि., 1383 मि.), 1385 मि., (1383 मि., 1385 मि.) है/ जो अपीलाधीन दावा में भी विवादित है/ हस्तगत दावा में विवादित खा० खसरा नं० 402 व 168/478 वाके ग्राम बरौली है जिसके बन्दोबस्त पूर्व के नंबर क्रमशः 1193 व (1232, 1233) है/ जो अपीलाधीन दावा में विवादित है/ इस प्रकार हस्तगत दावा में विवादित आराजी अपीलाधीन दावा में भी विवादित है/

क्रमशः—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अपीलाधीन दावा में वादी द्वारा खातेदारी विभाजन (53 RTA), स्वत्व घोषणा (88 RTA) एवं स्थाई निषेधाज्ञा (188 RTA) का अनुतोष चाहा गया है जबकि हस्तगत दावे में वादीगण द्वारा खातेदारी विभाजन (53 RTA.) एवं स्थायी निषेधाज्ञा (188 RTA.) संबंधी अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार हस्तगत दावे में चाहा गया अनुतोष अपीलाधीन दावा में निहित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन दावा एवं हस्तगत दावा के पक्षकार, विषयवस्तु एवं चाहा गया अनुतोष समान है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी हस्तगत प्रार्थना पत्र के तथ्यों के संबंध में हूबहू लागू होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-10 CPC स्वीकार किया जाकर दावा की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	